फैक्स
निबंधित डाक

राजस्व पर्षद, बिहार

संख्या- 2/24-04/2012- 718

प्रेषक,

नवीन कुमार सिंह,
उप सचिव, राजस्व पर्षद, बिहार।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी।

पटना, दिनांक- 04-6-2012

विषयः- राजस्व न्यायिक वाद प्रशिक्षण के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि इस वर्ष से राजस्व पर्षद द्वारा राजस्व न्यायिक वाद अभिलेखों को स्वीकृति करने के पूर्व प्रशिक्षु पदाधिकारियों का साक्षात्कार लेने की परम्परा शुरु की गई है।

राजस्व पर्षद द्वारा प्रशिक्षु पदाधिकारियों के साक्षात्कार के क्रम में ऐसा पाया गया है कि प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले पदाधिकारी न्यायालय की प्रकिया से पूरी तरह अवगत नहीं है। कतिपय पदाधिकारियों को व्यवहारिक ज्ञान की भी जानकारी नहीं हो पा रही है, जब कि प्रशिक्षण प्राप्त पदाधिकारियों को राजस्व न्यायालय के काम काज की प्रकिया का सैद्धान्तिक के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान में भी प्रवीण होना चाहिये।

अतएव अनुरोध है कि प्रशिक्षु पदाधिकारियों को राजस्व न्यायिक वाद प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु जिन पदाधिकारियों के साथ संलग्न किया जाय उन पदाधिकारियों को इस आशय का विशेष निदेश दिया जाय कि वे प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान दें न कि इसे मात्र औपचारिक्ता समझें।

प्रशिक्षु पदाधिकारियों के राजस्व न्यायिक वाद प्रशिक्षण के दरम्यान न्यायालय के काम काज की प्रकिया, न्यायालय में उपयोग होने वाले शब्दों एवं राजस्व न्यायिक वादों में जिस एक्ट या धारा का उपयोग होता है उसकी भी जानकारी प्रशिक्षु पदाधिकारियों को दी जाय।

उपरोक्त अनुदेश का अनुपालन दृढ़ता पूर्वक सुनिश्चित कराने का कष्ट किया जाये।

विश्वासभाजन

उप सचिव

1-6-12